हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
उभय पक्ष [illegible] पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य [illegible] है। [illegible] / [illegible] है। अतः पत्रावली दिनांक 12-6-20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
~~उभय पक्ष~~ [illegible] पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। [illegible] / [illegible] है। अतः पत्रावली दिनांक 10.7.20 को पेश हो। [illegible] उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
10-7 उभय पक्ष उपस्थित है पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। [illegible] / [illegible] है। अतः पत्रावली दिनांक 7-8-20 को पेश हो। [illegible] उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
7-8 पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन / बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 21-8-20 को पेश हो।	
21.8.20 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, वकील प्रार्थिया ने बहस करनी चाही। वकील प्रार्थिया की बहस सुनी गई, वकील प्रार्थिया ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की दरख्वास्त की।	
मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थिया की बहस पर मनन किया तथा तहसीलदार माण्डल की मौका रिपोर्ट पर अध्ययन किया। विवादित आराजियात ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का आलमास तहसील माण्डल मे स्थित होकर आराजी नं. 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346 कुल किता 07 कुल रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा स्थित है।	

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.22 12:46:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	में प्रार्थी एव विपक्षी

जो वर्तमान मी राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी एव विपक्षी हीरालाल पिता सं. 1 एव श्रीमती चांदी बेवा मांगीलाल, मांगीलाल के नाम संयुक्त खातेदार हक से दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजियात के राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी के पिता मांगीलाल पिता बरदा सुथार के नाम पर दर्ज थी तथा प्रार्थी के पिता मांगीलाल पिता बरदा सुथार की मत्यु के उपरान्त उक्त आराजियात का विरासत से नामान्तरण सं. 275 दिनांक 20.12.2001 को खोला गया। मांगीलाल पिता बरदा सुथार के दो पुत्र प्रार्थी व विपक्षी सं. 01 ही है किन्तु राजस्व कर्मचारियो ने उक्त आराजियात का नामान्तकरण खोलते वक्त गलती से हरिलाल पिता मांगीलाल का नाम अंकित कर दिया, जब कि हीरालाल पिता मांगीलाल के नाम का कोई पुत्र मांगीलाल के नही है मांगीलाल के केवल मात्र दो पुत्र ही है। एव प्रार्थी एव विपक्षी सं. 01 की माता श्रीमती चांदी की मत्यु दिनांक 30.7.15 को हो चुकी है जिसका भी मत्यु प्रमाण पत्र पत्रावली मे संलग्न है प्रस्तुत दस्तावेज जिसकी ताईद राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल संवत 2071-2075 से होती है। एव सरपंच ग्राम पंचायत भगवानपुरा द्वारा प्रस्तुत सजरा, राशन कार्ड आदि है। उक्तानुसार प्रार्थी उक्त आराजियात मे हीरालाल पिता मांगीलाल का नाम विलोपित करवाना चाहता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रा. पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं। अत:

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का आलमास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 134 मे आराजी नं. 340 रकबा [illegible] संख्या

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.22 12:46:24 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आराजी नं. 341 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, आराजी नं. 342 रकबा 19 बिस्वा, आराजी नं. 343 रकबा 09 बिस्वा, आराजी नं. 344 रकबा 06 बिस्वा, आराजी नं. 345 रकबा 05 बिस्वा, आराजी नं. 346 रकबा 01 बीघा कुल किता 07 कुल रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा भूमि के राजस्व रिकार्ड मे से हीरालाल पिता मांगीलाल का नाम विलोपित किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार मांडल उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो। Sd उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.22 12:46:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner